>

Title: The Minister of State in the Ministry of the Agriculture and Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries laid a statement correcting the reply given on 12.03.2013 to Unstarred Question No. 2306 asked by Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, MP regarding 'Oilseeds Board'.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): महोदय, मैं 'तिलहन बोर्ड' के बारे में श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए आतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के संबंध में 12.3.2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

"तिलहन बोर्ड " के संबंध में श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी द्वारा पूछे गये दिनांक 12.3.2013 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संशोधन करते हुए कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य

.....

मैं "तिलहन बोर्ड" के संबंध में दिनांक 12.3.2013 के उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित पून संख्या 2306 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं जो निम्नलिखित है।

उत्तरार्थ प्रश्न का भाग	के लिए	पढ़े
(क) और (ख)	(क) जी नहीं। (ख) प्रश्न ही नहीं होता।	(क) तथा (ख) तिलहनों की खेती को समेकित तिलहन, दलहन, आचलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम) के तहत बढ़ावा दिया जाता है करंजा नीम, जटरोफा, जंगली खुबानी आदि जैसे वृक्ष मूल के तिलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नोबोड) की स्थापना भी की है। सरकार ने देश में नारियल के समेकित विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड की भी स्थापना की है। नोबोड बोर्ड में 36 सदस्य होते हैं जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि मंत्री हैं और सचिव, (कृषि एवं सहकारिता विभाग), भारत सरकार इसके उपाध्यक्ष हैं। इन 34 सदस्यों में केन्द्र सरकार (कृषि, योजना आयोग, वित्त, नागरिक आपूर्ति), राज्य कृषि विभाग, स्वायत निकायों अर्थात राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि.(नेफेड)तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वरिष्ठ अधिकारी और सांसद (3), तेल उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि तथा उत्पादक प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा, अपर सचिव/िमशन निदेशक, तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओपी) और संयुक्त सचिव, (टीएमओपी) सहयोजित सदस्य हैं। नारियल बोर्ड में 24 सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष, तीन पदेन सदस्य (अर्थात बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, निर्देशक, पौध रोपण फसल अनुसंधान तथा अध्यक्ष, कोयर बोर्ड), संसद के 3 सदस्य (एक राज्य सभा से और 2 लोक सभा से), एक सदस्य प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय से जो राजस्व तथा नागरिक आपूर्ति का कार्य देखते हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रत्येक राज्य से एक एक सदस्य, 5 सदस्य आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, ओडिसा, गोवा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों तथा निकोबार अंडमान द्वीप समूह, दमन एवं द्वीप , लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी की राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए (बारी बारी से), दो प्रतिनिधि केरल से नारियल उत्पादकों के, तमिलनाडु और कर्नाटक के नारियल उत्पादकों प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि,

		एक सदस्य नारियल प्रसंस्करण उद्योग से और दो सदस्य नारियल उद्योग से जुड़े अन्य हितों वाले होते हैं।